

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 687]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2017—पौष 2, शक 1939

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

आदेश

क्र. 8257-एफ-2-15-2017-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री मुकुल धारीवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करता है.

उपरोक्त नियुक्ति विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82, 84, 85, 89 एवं 90 में उल्लेखित निबंधनों के अधीन होगी. आयोग के सदस्य को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2000 (यथा संशोधित) के अंतर्गत वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी. उक्त नियुक्ति श्री मुकुल धारीवाल द्वारा सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी.

क्र. 8259-एफ-2-15-2017-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अनिल कुमार झा, सेवानिवृत्त डायरेक्टर (टेक्निकल), एन. टी. पी. सी. लिमिटेड को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करता है.

उपरोक्त नियुक्ति विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82, 84, 85, 89 एवं 90 में उल्लेखित निबंधनों के अधीन होगी. आयोग के सदस्य को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2000 (यथा संशोधित) के अंतर्गत वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी. उक्त नियुक्ति दिनांक 2 जनवरी, 2018 अथवा उसके पश्चात् श्री अनिल कुमार झा द्वारा सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव.